

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर

-- 0 --

क्रमांक एफ 3-58/2022/38-1
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/08/2022

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 से स्ववित्तीय योजना अंतर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम/संकाय प्रारंभ करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, राज्य में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 से स्ववित्तीय योजना अंतर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम/संकाय प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	प्रस्तावित नवीन विषय/संकाय/कक्षा का नाम	संचालन का प्रकार	निर्धारित सीट संख्या
1	2	3	4	5
1	MAHANTSHRI RAM JANKI SHARAN DAS VAISHNAV GOVT. COLLEGE PIPARIYA	एम.एससी. रसायनशास्त्र	जनभागीदारी मद	40 सीट
		एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	जनभागीदारी मद	40 सीट
2	GOVT. COLLEGE BILAIGARH	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	स्ववित्तीय योजना	30 सीट
		एम.एससी. रसायनशास्त्र	स्ववित्तीय योजना	30 सीट
3	GOVT. K.L.S. COLLEGE BAGBEHARA	पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	40 सीट
4	GOVT. KODURAM DALIT COLLEGE NAWAGARH	बी.कॉम	जनभागीदारी मद	60 सीट
5	GOVT..ENGG VISHWESHVARAIYYA.P.G. COLLEGE KORBA	बी.लिब. एवं आई.एससी.	स्ववित्तीय योजना	25 सीट

6	SANT RAMESHWAR GAHIRA GURU COLLEGE, BAGEECHA	पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	30 सीट
7	GOVT. DANVEER TULARAM P. G. COLLEGE UTAL. DIST. DURG. C.G.	पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	50 सीट
8	GOVT. COLLEGE GURUR	पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	30 सीट
		डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	30 सीट
9	GOVT. PT. JAWAHARLAL.NEHRU ARTS AND SCIENCE P.G. COLLEGE BEMETARA.	एम.एस.डब्ल्यू (MSW)	स्ववित्तीय योजना	40 सीट
		पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	50 सीट
10	GOVT. COLLEGE BARPALI DIST. KORBA	पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	40 सीट
11	DR. BHIMRAO AMBEDKAR GOVT. COLLEGE PAMGARH	पी.जी.डी.सी.ए.	जनभागीदारी मंड	30 सीट
12	GOVT. KANGLA MANJHI COLLEGE DOUNDI DIST. BALOD.	डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	40 सीट
13	GOVT. DANTESHWARI P.G COLLEGE DANTEWADA	पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	30 सीट
14	GOVT. RAMANUJ PRATAP SINGHDEO P.G COLLEGE BAIKUNTHPUR	एम.एस.सी. भौतिकशास्त्र	स्ववित्तीय योजना	40 सीट
15	GOVT. REVATI RAMAN MISHRA P.G COLLEGE, SURAJPUR	एम.एस.सी. (माइक्रोबायोलॉजी)	स्ववित्तीय योजना	30 सीट
		एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस)	स्ववित्तीय योजना	25 सीट
16	GOVT. JAMUNA PRASAD VERMA ARTS AND SCIENCE COLLEGE BILASPUR	डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	50 सीट
17	MADAN LAL SAHU GOVT. COLLEGE ARMARIKALA	पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	40 सीट
18	GOVT. RAJMATA VIJAYRAJE SCINDIA GIRLS COLLEGE KAWARDHA	एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस)	स्ववित्तीय योजना	30 सीट
		पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	60 सीट
19	DR. RADHABAI BAI GOVT. NAVEEN GIRLS P.G.COLLEGE RAIPUR C.G.	एम.एस.सी. भौतिकशास्त्र	स्ववित्तीय योजना	25 सीट
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	स्ववित्तीय योजना	25 सीट
20	NAVEEN GOVT. COLLEGE NAWAGARH	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	स्ववित्तीय योजना	40 सीट
		पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	50 सीट


21	GOVT. RAJIV LOCHAN PG COLLEGE RAJIM	PG Diploma in Yoga & Philosophy	स्ववित्तीय योजना	40 सीट
		एम.एस.डब्ल्यू (MSW)	स्ववित्तीय योजना	30 सीट
22	GOVT. LATE CHANDU LAL CHANDRAKAR ARTS AND SCIENCE COLLEGE PATAN	डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	40 सीट
23	GOVT. SHYAMA PRASAD MUKHERJEE COLLEGE SITAPUR	एम.एससी. गणित	जनभागीदारी मद	30 सीट
24	GOVT. LOCHAN PRASAD PANDEY COLLEGE, SARANGARH DIST. RAIGARH	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	स्ववित्तीय योजना	40 सीट
		एम.एससी. प्राणीशास्त्र	स्ववित्तीय योजना	40 सीट
25	GOVT. BRIJ LAL VERMA COLLEGE PALARI	एम.ए. अंग्रेजी साहित्य	स्ववित्तीय योजना	30 सीट
		एम.ए. समाजशास्त्र	स्ववित्तीय योजना	30 सीट
26	GOVT. THAKUR SHOBHA SINGH GOVT. COLLEGE PATHALGAON	पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय योजना	40 सीट

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों द्वारा स्ववित्तीय योजनांतर्गत प्रस्तावित विषय/संकाय को प्रारंभ करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जावेगी :-

1. स्ववित्तीय योजना/जनभागीदारी मद के अंतर्गत उक्त नवीन विषय/संकाय/कक्षा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2022-23 से किया जावेगा।
2. शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारियों की एवं लाइब्रेरी, फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना होगा। इसके लिए किसी प्रकार का वित्तीय भार शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा, अर्थात् राज्य शासन द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई भी अनुदान नहीं दिया जावेगा।
3. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शासन के निर्धारित मापदंड पर की जावेगी।
4. उक्त विषय/संकाय प्रारंभ करने पर आय-व्यय के लेखों का सत्यापन विभागीय अंकेक्षण दल/सी.ए. द्वारा कराया जाकर प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा संचालनालय को अपना प्रतिवेदन सौंपना होगा।

//4//

5. महाविद्यालय द्वारा उक्त प्रस्तावित नवीन विषय/संकाय/कक्षा का संचालन संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के उपरांत ही किया जावेगा। संबद्धता प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।


(आर.ए.निर्मलकर)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-58/2022/38-1

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /08/2022

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 138/08/आउशि/योजना/2022-23, दिनांक 10.08.2021 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-.....(छ.ग.)
3. संबंधित प्राचार्य,
.....
की ओर सूचनार्थ प्रेषित,
4. आदेश फोल्डर ।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग